न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 208/18 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. हिन्दूसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत
2. जोगाराम पुत्र देवाराम, जाति जाट
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री फताराम गोदारा

निर्णय

दिनांक 22.02.19

प्रार्थीगण हिन्दूसिंह पुत्र प्रतापसिंह, वगैरा जाति राजपूत निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 1630/371 रकबा 11.11 बीघा एवं प्रार्थी सं. 2 का खेत खसरा सं. 1631/371 रकबा 11.11 बीघा ग्राम चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है, उस पर उसकी रहवारी ढाणिया, टांके आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियों पर आने जाने के लिए ग्राम चौहटन में प्रार्थी सं.1 के खेत खसरा सं. 1630/371 एवं प्रार्थी सं. 2 के खेत खसरा सं. 1631/371 के मध्य होकर सड़क मार्ग तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण ने परिशिष्ट "अ" में बरंग काले में दर्शायी गई भूमि जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिससे आगे सड़क मार्ग से प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के लिए आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। विप्रार्थी को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया । विप्रार्थी ने जवाब पेश किया । जवाब में विप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा सं. 1630/371 एवं 1631/371 में से रकबा क्रमशः 00.18 एवं 00.18 बीघा भूमि समर्पण की गई। जिसका नामान्तरकरण सं. 1820 व 1821 द्वारा अमल दरामद किया गया। उक्त समर्पित भूमि प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी की है जो राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई है, रास्ते के रूप में दर्ज की जाती है तो सरकार को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित । प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 1630/371 रकबा 11.11 बीघा एवं प्रार्थी सं. 2 का खेत खसरा सं. 1631/371 रकबा 11.11 बीघा ग्राम चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने खसरा सं. 1630/371 रकबा 11.11 बीघा में से रकबा 00.18 बीघा तथा प्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने खसरा सं. 1631/371 रकबा 11.11 बीघा में से रकबा 00.18 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई जिसको नामान्तरकरण सं. 1820 व 1821 द्वारा अमल दरामद किया गया । जिसका खसरा सं. 1645/371 रकबा 00.18 बीघा तथा खसरा सं. 1646/371 रकबा 00.18 बीघा दर्ज किया गया। जिसका नक्शा तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश जवाब के साथ सलंग्न है। उक्त समर्पित भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश जवाब एवं सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी के खेत खसरा में से भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया है जिसे रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते है। अतः समर्पित भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज करना न्यायोचित होगा ।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा खसरा सं. 1630/371 रकबा 11.11 बीघा तथा खसरा सं. 1631/371 रकबा 11.11 बीघा में से राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित भूमि रकबा क्रमश : 00.18 बीघा, 00.18 बीघा (खसरा सं. 1645/371 एवं 1646/371) तहसीलदार द्वारा जवाब के साथ पेश नक्शा में प्रस्तावित बरंग भूरा को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन का समर्पित भूमि आदेश एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। उपरोक्त रास्ते हेतु समर्पित भूमि हेतु किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी । उपरोक्त भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश आज दिनांक 22.02.19 को खुले न्यायालय में दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

2 रु. कोर्ट फी Rs.2
COURT FEE
भारत INDIA
दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

उत्तर

मौजा - चौहटन

पैमाना - 1 इंच = 40 गट्ठा

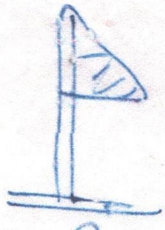

दक्षिण

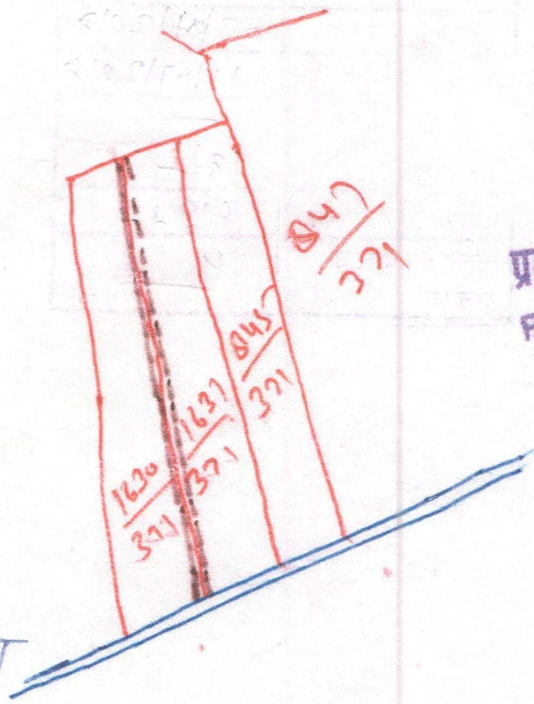

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

प्रमाणित प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 7833 / 13-06-18
दर्ज किया गया

13-06-18
प० चौहटन

प्रस्तावित स्थापना
शुदा भूमि

मौ- मु. गाना हेतु ख.नं. 1630/371 व 1631/371
प्रत्येक में से 0-18 बीघा

जोगाराम

तहसीलदार चौहटन

प्रति. प्रतिलिपि
11.7.18
तहसीलदार चौहटन